

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

वनाम

यरुपाराम पुत्र श्री सोनाराम

-चाडो की दाणी

जाति - नाई साकेव -

खारा महेचान

किस्म मुकदमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 सन्

मु.न. 10/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03-09-2021	पटवारी हल्का चाडो की दाणी ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2078 में मौजा खारा महेचान के खसरा संख्या 548 रकवा 0.125 बीघा किस्म भूमि राज. भू. राजस्व पर नाजायज अतिक्रमण कर कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 15-09-2021 को बमुकाम सिणधरी पेश हो।	
15-9-2021	पत्रावली पेश हुई। गैर सायल अनुपस्थित, गैर सायल के जवाब हेतु भवकर दिनांक 23-9-2021 को पेश हो।	

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

239-2
239-2221

पत्रावली पेश हुई। गैर साफल अनुपाष्टि।
गैर साफल के जवब हेतु अवसर दिये
जाने के उपरान्त भी कोई विधि सम्मत
जवब प्रस्तुत नहीं किया, गैर साफल के
विधि विरुद्ध अतिक्रमण करने के कारण
अतिक्रमण मानते हुए, पत्रावली फेसल
सुकार है। निर्णय अलग, शैलिका
जाकर शामिल पत्रावली है।
निर्णय सुकले न्यायालय के सुवादा द्वारा,
पत्रावली फेसल सुकार होकर नंबर 2
का होकर दाखिल दफतर है।



तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाडभेर

साल 2021-22 के राजस्व लेखा पंक्ति नं. 4 के
अंतर्गत प. 2.2 पर क्र. नं. 02 पर जुमाना/फसल
विलामी राशि रु. 50/- की वांग दज की गई।

M. S. W.
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर-10 /2019

संवत्-2078

राजस्थान सरकार जरिये

वनाम

स्वरूपारामवल्लभसोमनाथ
जाति नाई खारामैहचान

पटवारी हल्का चायेकटाणी

निर्णय

दिनांक:- 22-9-2021

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी चायेकटाणी ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् 2078 में राजस्व ग्राम चारा महेया के खसरा नम्बर 548 में कुल रकवा 0.4854 हेक्टेर की कृषि भूमि में से रकवा 0.1215 हेक्टेर की कृषि भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से बेदखली के आदेश दिये है। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध वार्षिक भू-राजस्व लगान 0.225 रुपये का राउण्ड अप (एक रुपया) का 50 गुणा अर्थात् 50 रुपये (अक्षरे प्रचारन रुपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।


तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर